अध्याय

2

अध्याय 2

पर्यावरण अनापत्ति देने की प्रक्रिया

2.1 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किसी परियोजना के शुरू करने से पहले किया जाने वाला कार्य है ताकि यह अल्प या दीर्घावधि में पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाए। 2006 के ईआईए अधिसूचना तथा इसके संशोधन पर्यावरण अनापत्ति की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं, जिसमें अधिकतम चार चरण हैं, जिसमें से सभी किसी विशेष मामले में लागू नहीं होंगे। ये चार चरण क्रमबद्ध है चरण 1: जांच (सिर्फ 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं तथा गतिविधियों हेतु); चरण 2: कार्य क्षेत्र निर्धारण; चरण 3: सार्वजनिक परामर्श और चरण 4: मूल्यांकन। पर्यावरण अनापत्ति देने तथा श्रेणी 'ए' परियोजनाओं हेतु पर्यावरण अनापत्ति उपरांत निगरानी की प्रक्रिया को **सारणी 2.1** में सोदाहरण दिया गया है।

सारणी 2.1: पर्यावरण अनापत्ति की प्रक्रिया

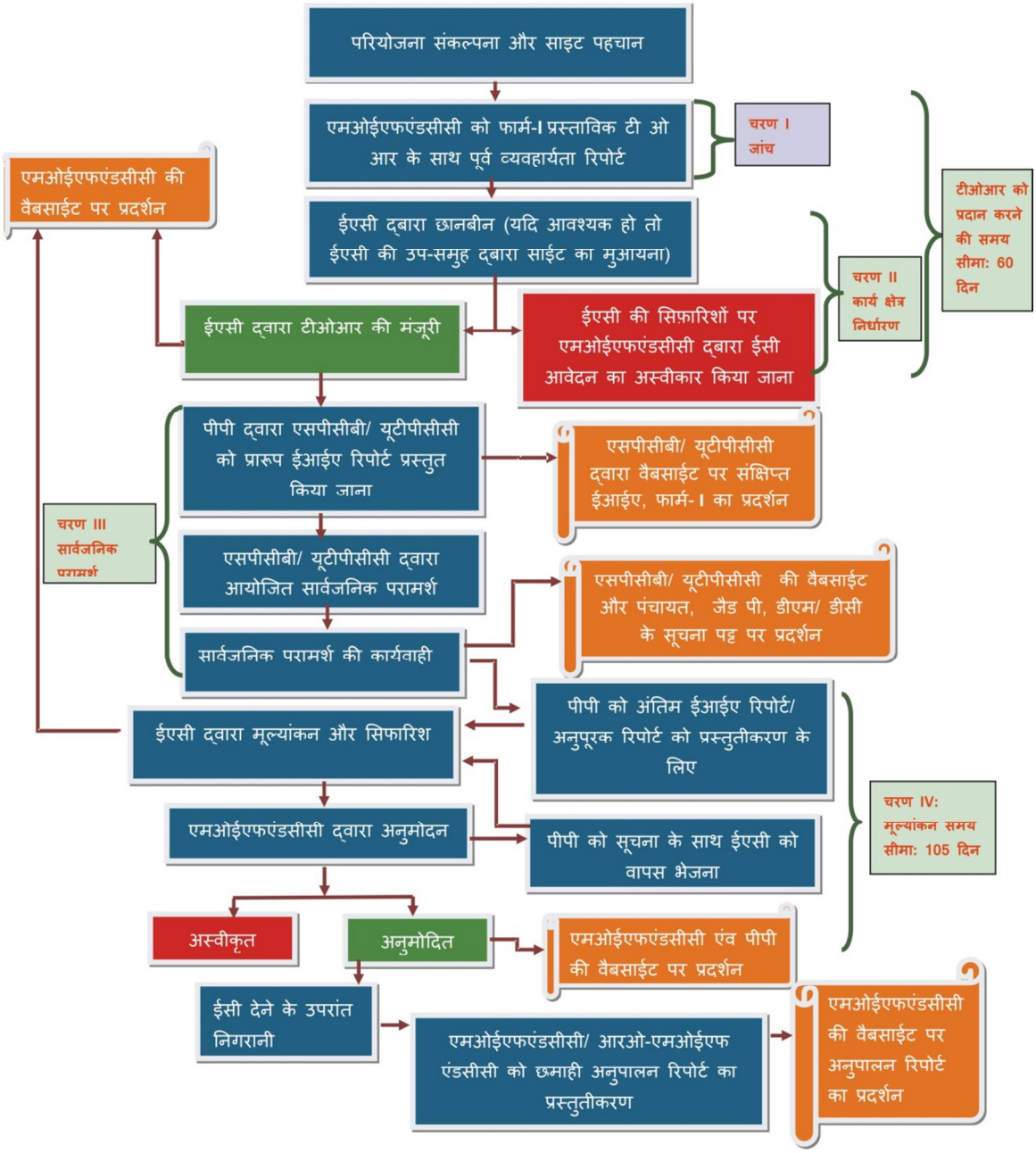

वर्तमान अध्याय में ईआईए प्रक्रियाओं के मूल्यांकन में पाई गई कमियों की चर्चा की गई है। हमें सात क्षेत्रों से संबंधित 216[8] परियोजनाओं की संवीक्षा किया है जिसे 2011-2015 के बीच पर्यावरण अनापत्ति दी गई थी। **सारणी 2.2** विभिन्न ईआईए प्रक्रियाओं में विलंब की प्रतिशतता को दर्शाता है जिसका विवरण आगे के पैराग्राफ में दिया गया है।

[8] हमने 2,917 परियोजनाओं में से 249 परियोजनाओं का चयन किया जिन्हें 2011 से जुलाई 2015 में ईसी दिया गया। हमें सिर्फ 216 फाइले मिली।

सारणी 2.2: ईआईए प्रक्रियाओं में विलंब (प्रतिशत में)

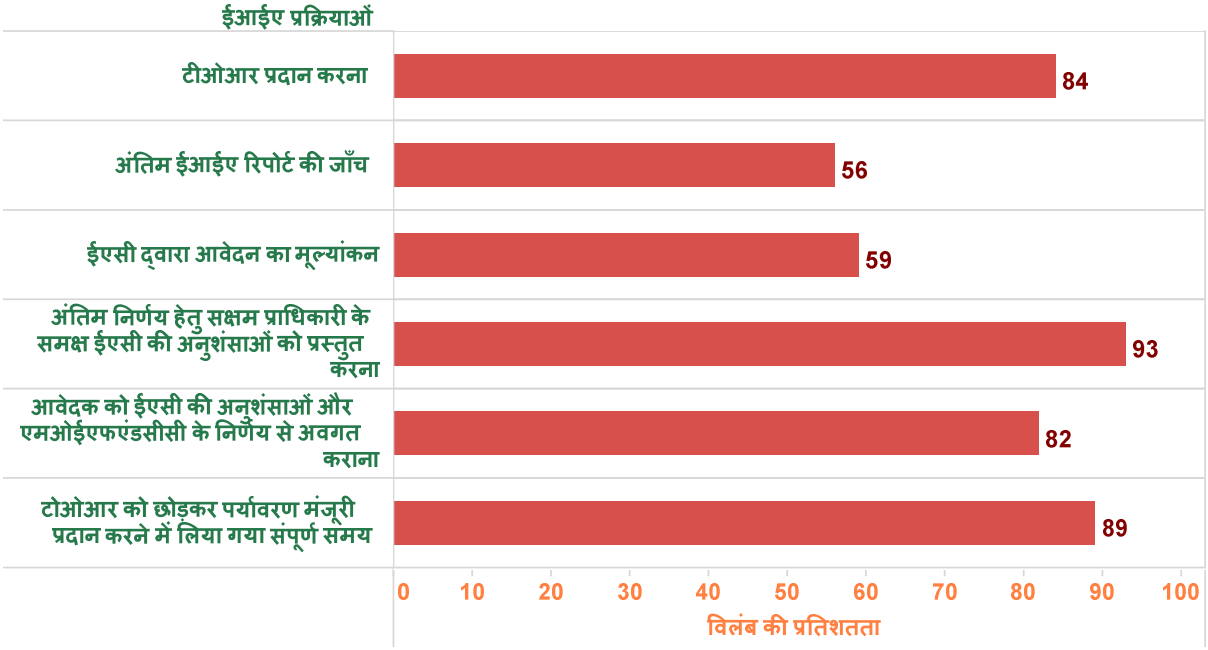

सारणी 2.2 दर्शाता है कि 89 प्रतिशत मामलों में आवेदक को पर्यावरण अनापत्ति देने में समग्र विलंब है। विभिन्न ईआईए प्रक्रियाओं के मामले में अधिकतम विलंब (93 प्रतिशत मामले) सक्षम प्राधिकार के समक्ष अनुशंसा देने में हुई है जबकि पर्यावरण अनापत्ति सदस्यों द्वारा मूल्यांकन देने में कम से कम देरी हुई है।

2.2 पर्यावरण अनापत्ति के डाटाबेस के संबंध में पाई गई विसंगतिया

जनवरी 2008 से जुलाई 2015 के दौरान सात सेक्टरों यथा कोयला खनन, उद्योग, गैर-कोयला खनन, निर्माण, मौलिक ढाँचा, थर्मल तथा नदी घाटी से संबंधित पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं (6,765) की जानकारी एमओईएफएंडसीसी के एनआईसी सेल (अगस्त 2015) के द्वारा दी गई थी। हमलोगों ने डाटाबेस में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई:

क. वर्ग 'बी' परियोजनाओं को वर्ग 'ए' परियोजनाओं के डाटाबेस में शामिल किया गया था।

ख. एसईआईएए द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं को भी डाटाबेस में शामिल किया गया था।

ग. परियोजनाओं को एक अलग सेक्टर के अंतर्गत भूल वर्गीकृत किया गया था। उदाहरणार्थ, कोयला खनन सेक्टर की सूची में ओद्यौगिक सेक्टर, गैर कोयला खनन इत्यादि से कुछ परियोजनाओं को शामिल किया गया था।

घ. परियोजनाओं का स्थान भी गलत दर्शाया गया था।

हम लोगों ने डाटाबेस में पाई गई विसंगतियों का एमओईएफएंडसीसी के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। मंत्रालय ने जनवरी 2008 से जुलाई 2015 की अवधि के दौरान पर्यावरण संबंधी प्रदत्त थर्मल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा तैयार किया गया डाटाबेस प्रस्तुत (जून 2016) किया जो एनआईसी सेल, एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिए गए आकड़ों से काफी भिन्न था। मंत्रालय ने अन्य शेष सेक्टरों के संबंध में जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, डेटाबेस में ईआईए प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लिया गया समय शामिल नहीं होता। आगे आने वाले पैराग्राफ में विलम्ब से संबंधित ऑडिट का विस्तृत निष्कर्ष शामिल है।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्तूबर 2016) कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए आकड़ें एनआईसी[9] द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा से मेल नहीं खाते, एमओईएफएंडसीसी के उत्तर के अनुसार, 2008 से जुलाई 2015 के दौरान 4534 पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई थीं।

लेखापरीक्षा क्रम के दौरान एमओईएफएंडसीसी के, ईआईए प्रभाग को बारंबार पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं के आकड़ों की पुष्टि करने तथा विसंगतियों, यदि कोई हो, को इंगित करने के लिए कहा गया था। तथापि मंत्रालय ने उत्तर[10] प्रस्तुत नहीं किया। एमओईएफएण्डसीसी ने परियोजना को प्रदान किए गए ईसी का केवल वर्षवार आँकड़ा दिया (अक्तूबर 2016) जो ऑडिट को एनआईसी द्वारा पहले दिए गए डेटाबेस से काफी अलग था। मंत्रालय ने पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त योजना के वर्षवार और क्षेत्रवार आकड़ें प्रस्तुत नहीं किए।

2.3 ईआईए प्रक्रिया की समय-सीमा का पालन

ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा 7(i)II के अनुसार, संबंधित ईएसी आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में दी गई सूचना के आधार पर विचारार्थ विषय (टीओआर)[11] का निर्धारण करती है। विहित प्रपत्र की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर संबंधित ईएसी द्वारा आवेदक को टीओआर सूचित करने थे। टीओआर की वैधता क्षेत्र के अनुसार चार से पाँच वर्ष थी।

साथ ही, पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के लिए, परियोजना प्रस्तावक (पीपी) अंतिम ईआईए प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही सहित सार्वजनिक परामर्श के परिणाम एमओईएफएंडसीसी को ईएसी द्वारा मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करता है। संबंधित ईएसी को या तो निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने की या पूर्व

---

9 मंत्रालय के पर्यावरण अनापत्ति हेतु आवेदनों के लिए ऑनलाइन पद्धति तथा वेबसाइट के प्रबंधन हेतु एनआईसी उत्तरदायी है

10 ताप ऊर्जा परियोजनाओं को छोड़कर

11 ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु सभी उचित व पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने के लिए टीओआर विस्तृत एवं व्यापक शर्तें निर्धारित करता है।

पर्यावरण अनापत्ति हेतु आवेदन के निरस्तीकरण हेतु उसके कारणों के साथ संबंधित नियामक प्राधिकारी को सुस्पष्ट सिफ़ारिश करनी पड़ती है।

ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार, आवेदक द्वारा जमा किए गए अंतिम ईआईए रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की एमओईएफएंडसीसी द्वारा इसकी प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर जांच की जानी चाहिए। आवेदन का मूल्यांकन संबंधित ईएसी द्वारा अंतिम ईआईए रिपोर्ट की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर पूरा करना था। ईएसी की सिफ़ारिशों को अंतिम निर्णय हेतु अगले पंद्रह दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना था। नियामक प्राधिकारी को संबंधित ईएसी की सिफ़ारिशों पर विचार करना था तथा संबंधित ईएसी की सिफ़ारिशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर आवेदक को निर्णय से अवगत करना था। आवेदक को अंतिम ईआईए रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ पाँच दिनों के भीतर पर्यावरण अनापत्ति से अवगत कराया जाना था।

यह जांच करने के लिए कि क्या पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने में एमओईएफएंडसीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन किया गया था अथवा नहीं, हमने 216[12] ऐसी परियोजनाओं की संवीक्षा की जिन्हें 2011-15 के बीच पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई थी।

चुनी गई परियोजनाओं के लिए ईसी देने में हुए वर्षवार विलम्ब तालिका 2.1 में नीचे दिए गए हैं।

तालिका 2.1: ईसी प्रदान करने में हुए वर्षवार विलम्ब

ईसी प्रदान करने का वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	विलम्ब वाली परियोजनाओं की संख्या	अधिकतम विलंब (दिन)	औसत विलम्ब (दिन)
2011	61	45	944	86
2012	56	54	588	184
2013	24	23	820	231
2014	25	25	761	316
2015 (जुलाई तक)	42	38	1,002	238
कुल	208	185		

नोटः अपर्याप्त जानकारी के कारण चुनी गई 216 परियोजनाओं में से आठ परियोजनाओं (कोयला-1, गैर-कोयला-3, अवसंरचना-3, नदी घाटी-1) में विलम्ब का पता नहीं चल पाया।

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि 185 परियोजनाओं (89 प्रतिशत) में 105 दिन की निर्धारित समय सीमा में ईसी नहीं प्रदान किया गया। 2011 से 2014 के दौरान ईसी प्रदान करने में विलंब बढ़कर 86 से 316 दिन हो गया। 2015 में, औसत विलम्ब

[12] कोयला-39, उद्योग-34, गैर-कोयला-37, विनिर्माण-20, अवसंरचना-38, नदी घाटी-7, ताप-41

घटकर 238 हो गया। हमने देखा कि विलम्ब, विभिन्न चरणों पर ईसी आवेदन के प्रसंस्करण में देरी के फलस्वरुप था। जिन पर आगे आने वाले पैराग्राफों में प्रकाश डाला गया है।

क्षेत्रवार और चरणवार विलंब की टिप्पणियाँ संक्षेप में तालिका 2.2 एवं 2.3 में दी गई हैं।

तालिका 2.2: पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने में क्षेत्रवार विलंब

ईएसी	टीओआर प्रदान करना	अंतिम ईआईए रिपोर्ट की जाँच	ईएसी द्वारा आवेदन का मूल्यांकन	अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईएसी की अनुशंसाओं को प्रस्तुत करना	आवेदक को ईएसी की अनुशंसाओं और एमओईएफएंडसी सी के निर्णय से अवगत कराना	टोओआर को छोड़कर पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने में लिया गया संपूर्ण समय
मामलों की संख्या	180	168	202	207	210	208
क्षेत्रवार विलंब						
1. कोयला खनन	**22**	**13**	32	34	28	34
2. उद्योग	**30**	**18**	22	34	29	30
3. गैर कोयला खनन	**26**	**26**	28	33	34	33
4. विनिर्माण	**-**	**14**	8	16	15	19
5. अवसंरचना	**31**	**15**	18	34	33	31
6. नदी घाटी तथा पन बिजली	**5**	**5**	4	6	6	6
7. ताप ऊर्जा	**38**	**3**	8	36	28	32
कुल	**152**	**94**	**120**	**193**	**173**	**185**
चयनित मामलों का प्रतिशत	**84**	**56**	**59**	**93**	**82**	**89**

विवरण परिशिष्ट 4 में दिये गये हैं। नीचे तालिका 2.3 में ईसी देने में हुए चरणवार विलंब दिए गए हैं।

तालिका 2.3: ईसी प्रदान करने में चरणवार विलंब

ईसी प्रक्रिया के चरण	दिनों में निर्धारित समय सीमा	परियोजनाएं जहाँ आवेदक को निर्धारित समय सीमा में ईसी से अवगत करा दिया गया	दिनों 30-0 के विलम्ब वाली परियोज-नाएं	90-31 दिनों के विलम्ब वाली परियोज-नाएं	180-91 दिनों के विलम्ब वाली परियोज-नाएं	365-181 दिनों के विलम्ब वाली परियोज-नाएं	दिनों 365 से अधिक विलम्ब वाली परियोज-नाएं
टीओआर प्रदान करना	60	28	47	60	33	12	0
अंतिम ईआईए रिपोर्ट की जाँच	30	74	37	46	9	1	1

ईएसी द्वारा आवेदन का मूल्यांकन	60	82	16	37	25	28	14
अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास इएसी की अनुशंसाओं को प्रस्तुत करना	15	14	54	88	38	11	2
आवेदक को ईएसी की अनुशंसाओं और एमओईएफएण्डसीसी के निर्णय से अवगत कराना	45	37	44	72	36	17	4
पर्यावरण अनापत्ति में लिया गया संपूर्ण समय	105	23	12	38	56	47	33

जैसा कि ऊपर दी गई तालिकाओं से देखा जा सकता है क्षेत्रवार देरी 55 से 91 प्रतिशत थी और केवल 23 मामलों में ही निर्धारित समय सीमा में ईसी प्रदान किया गया था।

एमओईएफएंडसीसी ने बताया (अक्तूबर 2016) कि विलंब के कारण केन्द्रीय प्राप्ति अनुभाग से प्रभाव मूल्यांकन अनुभाग तक दस्तावेज़ को आगे बढ़ाने में हुई देरी, संबंधित सदस्य सचिव को प्रस्तुत करने हेतु विशिष्ट फ़ाइल खोलने में देरी, प्रभाव आंकलन प्रभाग में अपर्याप्त कुशल लोग, 2011-14 के दौरान पर्यावरण अनापत्ति हेतु परियोजनाओं की बाढ़, पीपी के तरफ से देरी जिससे अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगी गई थी तथा पीपी और कंसलटेंट्स के बीच प्रभाव प्रक्रिया के बारे में जागरूकता में कमी है।

एमओईएफएंडसीसी ने आगे कहा (अक्तूबर 2016) कि उसने पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पर्यावरण अनापत्ति ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत (जुलाई 2014) की गई जिसने बेहतर निगरानी के माध्यम से मामलों के निपटारे में पारदर्शिता और गति को बढ़ा दिया। इन कदमों से राज्यों को और अधिकार हस्तांतरित हो गए। टीओआर/पर्यावरण अनापत्ति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के बैकलॉग को कम करने हेतु मंत्रालय ने और समितियां गठित करने तथा बार-बार बैठक आयोजित करने के भी प्रयास किये थे। उसने ईआईए अधिसूचना (अप्रैल 2015) को भी संशोधित किया था तथा 30 दिनों के भीतर परियोजनाओं हेतु डीम्ड टीओआर अनापत्ति का प्रावधान किया था जिसके न होने पर पीपी मानक टीओआर के अनुसार ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर सकता है।

किंतु ऑडिट ने देखा कि पिछले दो सालो में ऑफलाईन परियोजनाओं के मामले में ईसी को संसाधित करने में लिए गए औसत दिनों में बढोतरी हुई थी।

2.3.अ टीओआर प्रदान करने में विलंब के उदाहरण

एक कोयला खनन परियोजना, यथा '**मैसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन लि. के छत्तीसगढ़ में कुचेना वाशरी 9.311 हे. क्षेत्र में वाश्ड कोल 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष**' में टीओआर पत्र मंत्रालय में 14 अगस्त 2007 को प्राप्त हुए। पर्यावरण अनापत्ति द्वारा परियोजना पर दो बार यानी 28-29 नवंबर 2007 और 28-30 जुलाई 2008 को विचार किया गया। परियोजना के लिए टीओआर अंततः 25 अगस्त 2008 को जारी किया गया। मंत्रालय द्वारा 17 जनवरी 2008 को पीपी से कुछ सूचना मागी गई। मंत्रालय द्वारा मांगी गया स्पष्टीकरण देने में पीपी ने 139 दिनों का समय लिया। एमओईएफएंडसीसी ने टीओआर देने के लिए 14 अगस्त 2007 से 25 अगस्त 2008 तक 377 दिन लिये। इस तरह, एमओईएफएंडसीसी द्वारा फ़ाइल को प्रक्रियागत करने में देरी के कारण 178 (377-139-60) दिनों का विलंब हुआ था। एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्तूबर 2016) कि टीओआर देने में वास्तव संसाधन समय 130 बना। किंतु मंत्रालय का उत्तर किसी दस्तावेज़ से समर्थित नहीं था।

एक अन्य औद्योगिक परियोजना, यथा, आंध्रप्रदेश में **मैसर्स हिंदूपुर स्टील एंड एलॉय प्रा. लि. द्वारा 'एक्सपैन्शन ऑफ इंडक्शन फर्नेस एंड रोलिंग मिल, जिला अनंतपुर'** को पर्यावरण अनापत्ति 22 जून 2015 को प्रदान की गई। एमओईएफएंडसीसी में टीओआर हेतु आवेदन 20 जून 2012 को प्राप्त हुआ था। तीसरे पुनर्गठित ईएसी में प्रस्ताव पर विचार करने के बारे में पीपी को सूचित करते हुए 22 नवंबर 2012 को मंत्रालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। उक्त ईएसी में प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत फ़ाइल पुनः 1 फरवरी 2013 को प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा परियोजना के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में होने के बारे में पीपी से एक अधिसूचना मांगी गई। उक्त पत्र को 14 फरवरी 2013 को जारी किया गया। पीपी से सूचना 11 मार्च 2013 को प्राप्त हुई। टीओआर 29 अप्रैल 2013 को प्रदान किया गया। कुल मिलाकर एमओईएफएंडसीसी ने फॉर्म 1[13] की जांच में 20 जून 2012 से 29 अप्रैल 2013 तक 313 दिन लिये। वांछित सूचना देने में पीपी ने 25 दिन लिया। ईएसी ने फॉर्म 1 की जांच के लिए 288 दिन (313-25) लिये। अतः एमओईएफएंडसीसी द्वारा फ़ाइल को संसाधित करने में देरी के कारण 228 दिनों (288-60) का विलंब हुआ था।

2.3.ब अंतिम ईआईए प्रतिवेदन की संवीक्षा में विलंब के उदाहरण

ओडिशा में एक कोयला खनन परियोजना, यथा **मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लि. के 'भुबनेश्वरी ओपनकास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट'** अंतिम ईआईए/ईएमपी के साथ पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने हेतु अनुरोध एमओईएफएंडसीसी में 18 अगस्त 2010 को प्राप्त हुआ। 02 नवंबर 2010 को, एमओईएफएंडसीसी ने अतिरिक्त सूचना मांगी और उसका

[13] पूर्व ईसी प्राप्त करने के लिए फार्म-। क निर्धारित आवोदन फॉर्म है।

उत्तर 20 नवंबर 2010 यानी 18 दिनों बाद प्राप्त हुआ। 9 मार्च 2011 को एमओईएफएंडसीसी ने परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया कि 28-29 मार्च 2011 को आयोजित ईएसी की बैठक में परियोजना पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार, ईआईए रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से लेकर ईएसी बैठक के बारे में प्रस्तावक को सूचित करने की तिथि तक कुल 222 दिन लिए गए तथा 174 (222-30-18) दिनों की देरी देखी गई और इस तरह के विलंब का कोई कारण नहीं मिला।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्तूबर 2016) कि प्रस्ताव को वास्तविक कारणों से इसकी प्राप्ति से लेकर 20 नवंबर 2010 तक रोक कर रखा गया था। हालांकि मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया।

इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में एक नदी घाटी और पन बिजली परियोजना, यथा, '**जल संसाधन विभाग के कुंडलिया मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट**' में 20 मई 2013 को प्राप्त ईआईए रिपोर्ट को संबंधित प्रभाग द्वारा 25 जुलाई 2013 को प्रस्तुत किया गया। इस पर पहली बार विचार 10-11 दिसंबर 2013 को आयोजित 77 वीं ईएसी की बैठक में किया गया। मुख्यतः इसी कारण 175 दिनों की देरी हुई।

2.3.स ईएसी द्वारा आवेदन के मूल्यांकन में विलंब के उदाहरण

बिहार दरभंगा में, एक औद्योगिक परियोजना, यथा, **मैसर्स तिरहुत इंडस्ट्रीज़ लि. के 'ग्रेन एंड मोलैसेज़ बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट, को-जेनरेशन प्लांट,'** को ईसी 16 मई 2015 को प्रदान किया गया।

एमओईएफएंडसीसी में अंतिम ईआईए रिपोर्ट 4 जून 2012 को प्राप्त हुई थी। परियोजना पर पहली बार 31 अक्तूबर 2012 को आयोजित द्वितीय पुनर्गठित ईएसी बैठक में विचार किया गया। परियोजना पर 17-19 फरवरी 2015 को आयोजित 34वीं पुनर्गठित ईएसी बैठक में अंतिम रूप से विचार किया गया। ईएसी ने 26 फरवरी 2015 को पर्यावरण अनापत्ति के लिए परियोजना की सिफ़ारिश की। 13 मार्च 2013 को यानि ईएसी के 133 दिन बाद एमओईएफएंडसीसी ने बिहार एसपीसीबी को स्पष्टीकरण मांगते हुए एक पत्र जारी किया कि क्या मई 2012 में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई बैठक का पर्यवेक्षण/अध्यक्षता ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार किया गया था। वांछित सूचना 2 अप्रैल 2013 को प्राप्त हुई और बिहार एसपीसीबी से 11 अप्रैल 2013 को संबंधित परियोजना हेतु नए सिरे से सार्वजनिक सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। उसका आयोजन 11 जुलाई 2014 को किया गया तथा सार्वजनिक सुनवाई का कार्यवृत्त/फोटोग्राफ मंत्रालय में 27 जनवरी 2015 को प्राप्त हुआ। परियोजना के मूल्यांकन हेतु एमओईएफएंडसीसी द्वारा 4 जून 2012 से 26 फरवरी 2015 तक कुल 997 दिन का समय लिया गया। 937 दिनों का विलंब (997-60) हुआ था। एमओईएफएंडसीसी ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2016) में कहा कि सही और पूर्ण दस्तावेज़

जमा होने के बाद 113 दिन का कुल समय लिया गया था। उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने 31 अक्तूबर 2012 को आयोजित पहली ईएसी की बैठक में परियोजना पर विचार करने के लिए शुरु में पाँच महीने का समय लिया। इसके अलावा ईआईए अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई के पर्यवेक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण दूसरी ईएसी की बैठक समाप्त होने के 133 दिन बाद एसपीसीबी से मांगा गया। यह स्पष्टीकरण ईएसी की बैठक से पहले या ईएसी की बैठक में ही मांगा जाना चाहिए था। इसे ध्यान में रखने से 937 दिन का विलंब बनता है।

इसी तरह, मेघालय में **मैसर्स आधुनिक सीमेंट लि. की लाइमस्टोन माइन** में ईआईए रिपोर्ट एमओईएफएंडसीसी में 27 अप्रैल 2012 को प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट 29-31 अगस्त 2012 को आयोजित 30 वीं ईएसी बैठक में प्रस्तुत की गई। 7 सितंबर 2012 को समिति ने उद्धृत अनुसूचि-1 प्रजातियों हेतु समुचित संरक्षण योजना के विषयाधीन पर्यावरण अनापत्ति जारी करने के लिए परियोजना की अनुशंसा की। 7 सितंबर 2012 से 11 मार्च 2013 तक (यानी 166 दिनों तक) फ़ाइल नहीं चली। 11 मार्च 2013 को एमओईएफएंडसीसी ने प्रस्तावक को वांछित संरक्षण योजना प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया और 16 अप्रैल 2013 को प्रस्तावक ने संरक्षण योजना प्रस्तुत कर 26-28 जून 2013 में आयोजित ईएसी की 8वीं बैठक में प्रस्ताव को जाँचा गया जिसमें समिति ने पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा (5 जुलाई 2013) की तथा आगे यह भी कहा कि चूंकि संरक्षण योजना पहले ही राज्य स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर कर दी गई है, इसलिए इस संरक्षण योजना को ईएसी के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, कुल 434 दिन लिए गए। 434 दिन में से प्रस्तावक ने अतिरिक्त सूचना प्रदान करने ले लिए 35 दिन लिये। इसलिए, एमओईएफ़एंड सीसी में फ़ाइल को क्रियान्वित करने के कारण 339 दिनों का विलंब हुआ था। परियोजना में देरी के बारे में मंत्रालय का उत्तर (अक्तूबर 2016) मूक था।

2.3.द सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईएसी की अनुशंसाओं को प्रस्तुत करने में विलंब के उदाहरण

तमिलनाडु में **मैसर्स श्रीलनाड मैंशन्स प्रा. लि. की कंस्ट्रकशन ऑफ नोवोटेल होटल एंड कमर्शियल ब्लॉक** नामक एक परियोजना में ईएसी ने 16 दिसंबर 2011 को परियोजना की अनुशंसा की। किंतु, ईएसी की अनुशंसाओं को 201 दिन बीतने के बाद 4 जुलाई 2012 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईएसी की अनुशंसाओं को प्रस्तुत करने में 186 दिनों का विलंब हुआ था।

इसी तरह झारखण्ड में, **मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वाइडनिंग एंड इम्प्रूवमेंट फ्राम-2-लेन टू 4/6 लेनिंग ऑफ बारही से हजारीबाग** नामक एक अवसंरचना परियोजना में ईएसी की अनुशंसाओं को अगले पंद्रह दिनों के भीतर अंतिम निर्णय हेतु

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। किन्तु, 137 दिनों (10 फरवरी 2012 से 10 जुलाई 2012 यानी 152-15) का विलंब हुआ। इस बारे में टिप्पण में कोई औचित्य नहीं बताया गया था।

2.3.ई आवेदक को पर्यावरण अनापत्ति से अवगत करने में विलंब के उदाहरण

केरल में **मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लि. की कंस्ट्रक्शन ऑफ आईटी पार्क प्रोजेक्ट**, नामक एक विनिर्माण परियोजना में 105 दिनों के अनिवार्य समय के विरुद्ध पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने में कुल 1,049 दिन लिए गए। जिससे 944 दिन का विलंब देखा गया। प्रक्रियागत विलंबों के अतिरिक्त अवसंरचना, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरज़ेड) प्रयोज्यता का पता लगाने हेतु राज्य प्राधिकारियों से बार-बार पूछने व विधानसभा चुनाव को विलंब के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता था।

इस तरह ओडिशा में, **मैसर्स वीजा पावर प्रा. लि. की 2x660 मेगावाट इंपोर्टेड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट,** नामक एक ताप विद्युत परियोजना में ईआईए रिपोर्ट प्रस्तावक से 21 जून 2010 को प्राप्त हुई थी और एमओईएफएंडसीसी द्वारा 17 जनवरी 2012 को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई। अतः प्रस्तावक को पर्यावरण अनापत्ति जारी करने के लिए निर्धारित 105 दिन के स्थान पर 575 दिन लिये गए। इस प्रकार, प्रस्तावक को पर्यावरण अनापत्ति जारी करने में 470 दिनों का विलंब था।

2.4 पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने में विलंब के सोदाहरण मामले

बॉक्स 2.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलंब के मामलों को दर्शाता है।

बॉक्स 2.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलंब के सोदाहरण मामले

गैर कोयला खनन क्षेत्र

1. मेसर्स अशोक सोमानी, हरियाणा द्वारा एक्सपैंशन ऑफ स्लेट माइनिंग प्रोजेक्ट: सचिव एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति की अनुशंसाओं से सक्षम प्राधिकारी को 19 जुलाई 2012 को अवगत कराया गया। तथापि, सक्षम प्राधिकारी ने 4 अक्तूबर 2012 (यानी 77 दिनों बाद) को अपनी अनापत्ति दी। 77 दिनों के इस विलंब को न्यायोचित ठहराने के लिए फ़ाइल में कोई कारण नहीं मिला।

औद्योगिक क्षेत्र

2. मेसर्स डीएनएच स्पाइनर्स प्रा. लि. द्वारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनमेड फाइबर, सुरंगी, दादर एवं नगर हवेली: ईएसी की अनुशंसाओं के अनुमोदन के लिए फ़ाइल को 18 अप्रैल 2012 को सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रेषित किया गया। 12 जुलाई 2012 को परियोजना को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान कि गई। ईएसी की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने में सक्षम प्राधिकारी ने 80 दिन लिये। फ़ाइल में इस विलंब के लिए कोई वैध कारण नहीं मिला।

3. मेसर्स ऑइल एंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लि. द्वारा एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग (ऑफशोर) ब्लॉक्स, अंडमान: ईएसी की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने के लिए फ़ाइल को 9 जून 2014 को सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रेषित किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन 20 जुलाई 2014 को दिया। सक्षम प्राधिकारी ने परियोजना का अनुमोदन करने के लिए 41 दिन लिये। इस देरी के लिए फ़ाइल में कोई वैध कारण नहीं मिला।

4. मेसर्स कैलाशपति सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा बेन्नीबारी इंड्रस्ट्रीयल एस्टेट, एक्स्पैंशन ऑफ सीमेंट प्लांट, असम: ईएसी की अनुशंसाओं के अनुमोदन के लिए फ़ाइल को 7 फरवरी 2012 को सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रेषित किया गया। पर्यावरण अनापत्ति हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने 50 दिन लिये। फ़ाइल में इस विलंब का कोई वैध कारण नहीं मिला।

बॉक्स 2.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने के बाद पर्यावरण अनापत्ति पत्र जारी करने में विलंब के मामले को दर्शाता है।

बॉक्स 2.2 पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने के बाद पर्यावरण अनापत्ति पत्र जारी करने में विलंब के दृष्टांत मामले

कोयला खनन क्षेत्र

1. एक्स्पैंशन ऑफ ककटिया खानी ओपनकास्ट सेक्टर, कॉल माइनिंग प्रोजेक्ट, तेलंगाना, मे. सिंगरेनी कोलिरीज़ कंपनी लि.: सक्षम प्राधिकारी द्वारा 17 मार्च 2015 को पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित कि गई। मंत्रालय द्वारा 19 मार्च 2015 को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान कि गई। तथापि, पर्यावरण अनापत्ति पत्र 11 मई 2015 को यानी 53 दिनों बाद जारी किया गया।

2. क्लस्टर 8 (ग्रुप ऑफ 7 माइन्स), मे. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., पश्चिम बंगाल: सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति 16 मार्च 2015 को प्रस्तुत कि गई। मंत्रालय ने 19 मार्च 2015 को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की परंतु पर्यावरण अनापत्ति पत्र 11 मई 2015 को यानी 53 दिनों बाद जारी किया गया।

3. पिट हैड कैप्टिव वेट्ट वाशरी, छत्तीसगढ़, मे. जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लि.: यह देखा गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 18 मई 2013 को पर्यावरण अनापत्ति का अनुमोदन दिया गया। मंत्रालय द्वारा 10 जून 2013 को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की परन्तु पर्यावरण अनापत्ति पत्र 8 जूलाई 2013 को यानी 28 दिनों बाद जारी किया गया।

2.5 ईआईए रिपोर्ट्स की उपयुक्तता

ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा 7 एवं परिशिष्ट III के अनुसार ईआईए रिपोर्ट की साधारण संरचना में प्राक्कथन, परियोजना वर्णन, पर्यावरण वर्णन, अनुमानित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण के उपाय, अनुकल्पियों के विश्लेषण[14], पर्यावरणीय निगरानी कार्यक्रम, अतिरिक्त अध्ययन, परियोजना लाभ, पर्यावरण लागत लाभ विश्लेषण[15], ईएमपी, सारांश एवं निष्कर्ष, नियोजित परामर्शियों का निकटन से संबन्धित अध्याय शामिल होते हैं। ईआईए रिपोर्ट टीओआर के अनुरूप होनी चाहिए।

216 मामलों कि लेखापरीक्षा में छानबीन के दौरान टीओआर के साथ ईआईए रिपोर्ट का गैर अनुपालन पाया गया जिसे तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: टीओआर के साथ ईएआई रिपोर्ट का गैर अनुपालन

ईएसी		परियोजनाएं जहां ईआईए रिपोर्ट में टीओआर अनुपालन नहीं किया गया	ईआईए रिपोर्ट्स की संख्या जो सामान्य संरचना के अनुरूप नहीं थे
1	**कोयला खनन**	9 परियोजनाओं में आधारभूत डाटा टीओआर अनापत्ति से पहले ही संग्रह किया गया था। 2 परियोजनाओं यथा मनुगुरु ओपनकास्ट IV एक्स्टेंशन प्रोजेक्ट एंड अनंत ओसीपी एक्सपैंशन प्रोजेक्ट में ईआईए रिपोर्ट का टीओआर के साथ आंशिक रूप से अनुपालन किया गया था।	15 परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट साधारण संरचना के अनुरूप नहीं थी
2	**उद्योग**	21 परियोजना के मामले मे, टीओआर के साथ ईआईए रिपोर्ट का अनुपालन नहीं किया गया	19 परियोजना के मामले में ईआईए रिपोर्ट साधारण संरचना के अनुरूप नहीं था
3	**गैर कोयला खनन**	1 परियोजना	4 परियोजना
4	**निर्माण/विनिर्माण**	लागू नहीं क्योंकि टीओआर एंड ईआईए निर्मित नहीं होते है	
5	**आधारभूत संरचना विकास**	8 परियोजना	6 परियोजना
7	**नदी घाटी एवं पन बिजली**	6 परियोजना	6 परियोजना
8	**ताप ऊर्जा**	8 परियोजना	-
	कुल	**55**	**50**
मामलों का प्रतिशत		**25**	**23**

ईआईएरिपोर्ट तथा टीओआर के गैर-अनुपालन के मामलों का विवरण बॉक्स 2.3 में दिया गया है।

---

[14] यदि कार्य क्षेत्र निर्धारण कार्य में विकल्पों की जरूरत आ पड़ती है.

[15] अगर कार्य क्षेत्र निर्धारण स्तर पर अनुशंसा की गई हो.

बॉक्स 2.3: ईआईए रिपोर्ट एवंम टीओआर के गैर-अनुपालन के

<u>कोयला खनन क्षेत्र</u>

टीआरओकी अनापत्ति के पहले आधारभूत आँकड़ों का संग्रह/3 महीने के एक सीजन के विरूद्ध एक महीने के आँकड़ा संग्रह

क. 'शीतलधारा-कुर्जा एवं कपीलधारा ग्रुप ऑफ अंडरग्राउंड माइन्स, मध्य प्रदेश' के मामले में टीओआर 20 मार्च 2009 को अनुदान कि गई। हालांकि आधारभूत आँकड़ों का संग्रह अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008 के बीच यानी टीओआर जारी करने की तिथि से पहले किया गया जो अनियमित था।

ख. टीओआर शर्तों के अनुसार पर्यावरणीय गुणवत्ता पर एक सीजन प्राथमिक आधारभूत आँकड़ा का संग्रह वायु, ध्वनी, जल एवं मिट्टी के लिए किया जाना चाहिए। तथापि झारखंड के क्लस्टर 1, कोयला खनन क्षेत्र के मामले में देखा गया कि जल, ध्वनी और मिट्टी से संबंधित सिर्फ एक माह का आँकड़ा एकत्रित किया गया था।

ग. जामुनिया यूजी प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश, में वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश के दिनांक 15 अप्रैल 2009 के टीओआर के अनुसार आधारभूत डाटा संग्रह मानसून छोड़कर किसी भी ऋतु के लिए करना था। अंतिम ईआईए रिपोर्ट के अनुसार आधारभूत डाटा 2005 के मानसून पूर्व ऋतु में यानी ईआईए की तारीख से चार वर्ष से अधिक पहले संग्रह किया गया था।

तथापि, एमओईएफएंडसीसी ने इन बिंदुओं पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अन्य परियोजना फाइलों में यह देखा गया कि एमओईएफएंडसीसी ने पीपी को ताजा आधारभूत आँकड़ा संग्रह करवाने को कहा था यानी टीओआर की अनापत्ति के बाद।

<u>औद्योगिक क्षेत्र</u>

टीओआर में अनिवार्य शर्त का गैर-समावेशन

क. मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ड्रिलिंग ऑफ डेवलपमेंट वेल एंड एक्सप्लोरेटरी वेल, अरूणाचल प्रदेश: यह देखा गया कि आसपास के आरक्षित वन क्षेत्रों नामसी, चोंगरवाम, मानाभूम एवं टेंगापानी सुरक्षित वन जो परियोजना क्षेत्र के 10 कि. मी. के भीतर संरक्षित क्षेत्र में स्थित थे पर प्रस्तावित संयत्र के असर से संबंधित राज्य वन विभाग की अनुमति ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय प्राप्त नहीं की गई थी।

ख. मेसर्स अम्बिका एलॉयज द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ एमएस इंगाट्स, सिरमौर हिमाचल प्रदेश:

- यह पाया गया कि आरक्षित/संरक्षित वन भबरवाला एवं शीस्मवाला (5 कि.मी.) परियोजना स्थल के 10 कि.मी. के भीतर थे। टीओआर में ये शर्त शामिल नहीं थी जिसमें परियोजना प्रस्तावक को आस-पास के आरक्षित वनों पर प्रस्तावित विस्तार के असर के संबंध में राज्य वन विभाग की अनुमति लेने की जरूरत थी।
- टीओआर में उस ऋतु का उल्लेख नहीं था जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा सभी पर्यावरणीय मानदंडों के लिए आँकड़ा लिया जाना था।

ग. मेसर्स हिंदुस्तान जींक लिमिटेड द्वारा जींक एवं लीड मेटल मेल्टिंग एंड कास्टिंग यूनिट,पंत नगर,उत्तराखण्ड: यह पाया गया कि आराक्षित/संरक्षित वन ढिमरी, गंगापुर, पटिया और टंडा परियोजना स्थल से 10 कि.मी. के भीतर थे। टीओआर में यह शर्त शामिल नहीं थी जिसमें परियोजना प्रस्तावक को आस-पास के आरक्षित वनों पर प्रस्तावित विस्तार के प्रभाव के संबंध में राज्य वन विभाग की अनुमति लेने की जरूरत थी।

घ. मेसर्स रश्मि सीमेंट लि. द्वारा बोदुंदकला औद्योगिक क्षेत्र बालाघाट, इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट, कैप्टिव पावर प्लांट एवंसंबधित सविधाओं सहित: टीओआर में लोक सुनवाई की शर्त को शामिल नहीं किया गया था। लोक सुनवाई की सूचना फाइल के साथ-साथ ईआईए रिपोर्ट में भी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए लोक सुनवाई से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या परियोजना को लोक सुनवाई से छूट दी गई थी।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सलाहकार भी प्रमाणित करते है कि ईआईए रिपोर्ट टीओआर के अनुसार है और टीओआर मे निर्धारित सभी विषयो को कवर किया गया है। परियोजना के मूल्याकंन के समय भी ईएसी द्वारा इसकी जांच की जाती है। सलाहकार द्वारा स्थल पर अध्ययन के दौरान आधारभूत डाटा एकत्रित किया जाता है।

लेखापरीक्षा कि राय है कि मत्रांलय को केवल ईआईए रिपोर्ट कि जांच कि प्रक्रिया के बारे में बताया जाना चाहिए था। हांलाकि तथ्य यही है कि टीओआर के अनुसार ईआईए रिपोर्ट बनाने में कमियां थी और इसके बावजूद परियोजनाओं को ईसी प्रदान की गई।

2.6 संचयी प्रभाव आकलन की कमी

ईआईए अधिसूचना 2006 के परिशिष्ट I (फार्म I) के पैरा 9 के अनुसार, पीपी को उन कारकों के संबंध में सूचना मुहैया करानी है जिसे विचार किया जाना चाहिए (जैसे कि परिणामी विकास) जो उस स्थान में अन्य मौजूदा या सुनियोजित गतिविधियों के साथ संचयी प्रभाव के लिए पर्यावरणीय प्रभाव या संभावना का कारण बन सकता है। पैरा 9.4 के अनुसार, पीपी को सामान प्रभाव के साथ अन्य मौजूदा या सुनियोजित परियोजना की निकटता की वजह से होने वाले संचयी प्रभावों को बताना था।

हमने पाया कि पीपी द्वारा बिना किसी वास्तविक संचयी प्रभाव अध्ययन के, ईआईए रिपोर्ट में संचयी प्रभाव से संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई या बहुत ही सामान्य जानकारी दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकाश ईआईए रिपोर्ट में पीपी ने संकेत दिया है कि उन्होने संचयी अध्ययन नही किया है। इसके अलावा ईआईए रिपोर्ट तैयार करने से पहले संचयी प्रभाव अध्ययन की आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी।

एमओईएफएंडसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि टीओआर में क्षेत्र या मानदंड निर्धारित किया जाता है जिस पर प्रस्तावक को ईआईए/ईएमपी तैयार करने हेतु अध्ययन करना

होता है। अध्ययन क्षेत्र परियोजना स्थल की सीमा से 10 कि.मी. है. नमूने के तौर पर आँकड़ा एक सीजन के लिए संग्रह किया गया था। इस प्रकार, प्रत्येक ईआईए रिपोर्ट मानदंड को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय मानदंडों पर संचयी प्रभाव को दर्शाती है।

तथापि, तथ्य यही है कि अधिकांश ईआईए रिपोर्ट में पीपी ने संकेत नहीं दिया है कि उन्होने संचयी अध्ययन किया है।

2.7 कार्यालय ज्ञापनों को जारी कर ईआईए प्रक्रियाओं में परिवर्तन

ईआईए अधिसूचना 2006 एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया था. अधिसूचना में बदलाव एक विधित प्रक्रिया थी जिसके लिए भागीदारों की राय और राजपत्र अधिसूचना की भी आवश्यकता है।

मंत्रालय समय-समय पर कार्यालय ज्ञापन (ओएमस) मूद्दो कार्यालय प्रक्रिया समझाने के लिए या परिभाषित करने के लिए परिक्रयाओं में जहां कोई एक्सप्रेस प्रावधान या ईआईए अधिसूचना में सपष्टा नही थी

हमने पाया कि एमओईएफएंडसीसी ने ईआईए अधिसूचना से संबंधित 181 कार्यालय ज्ञापन अक्टूबर 2014 तक जारी किया था। इन ओएमस के कुछ के रूप बाक्स 2.4 में नीचे दिए गए मे विस्तृत मूल अधिसूचना के प्रावधानो का प्रभाव नही पडा।

बॉक्स 2.4: ओएम द्वारा ईआईए अधिसूचना को हल्का करना

एमओईएफएंडसीसी ने अपने ओएम दिनांक 12 दिसंबर 2012 एवं 27 जून 2013 के माध्यम से उस परियोजना पर विचार करने का प्रावधान किया था जहां पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के बिना विनिर्माण पूरा कर लिया/शुरू कर दिया गया था। ईआईए का उद्देश्य पर्यावरण पर प्रस्तावित परियोजना के होने वाले तथा संभावित असर की पहचान करना, परीक्षा करना, आकंलन करना तथा मूल्यांकन करना और जिससे पर्यावरण पर इन बुरे प्रभावों को कम करने के लिए उपचारी कार्य योजना बनाना था। ये सब परियोजना के शुरू होने से पहले चरण में किया जाना आवश्यक है। आच्छादित परियोजना व गतिविधियों के संबंध में ईआईए अधिसूचना में परियोजना के शुरू होने के बाद तथा पूरा होने पर इस तरह की परीक्षा की कल्पना नहीं की गई है। एमओईएफएंडसीसी द्वारा जारी ओएम को चुनौती दी गई तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जूलाई 2015 में इस टिप्पणी के साथ रद्द कर दिया गया कि ये ओएम 1986 के अधिनियम तथा 2006 की अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अधिकारातीत थें तथा स्वभाविक क्षेत्राधिकार व प्राधिकार की कमी की दुर्बलता से ग्रसित थें।

एमओईएफएंडसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि एनजीटी द्वारा ओएमस रद्द करने के बाद मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से पर्यावरण अनापत्ति के लिए उल्लघंन के ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रक्रियाओ/प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में था।

2.8 पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की स्थिति की जांच किए बगैर विस्तार हेतु नई पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करना

एमओईएफएंडसीसी के परिपत्र (मई 2012) के अनुसार ईआईए अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत सभी विस्तार परियोजनाओं पर पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने के लिए विचार करने हेतु आवेदन जमा करते समय पीपी को एमओईएफएंडसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों से परियोजना के चालू/मौजूदा प्रचालन हेतु इसी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति की सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए।

फाइलों की जांच से कोयला खनन क्षेत्र के तीन मामलों का पता चला जहां पिछली पर्यावरण अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन की जांच किए बगैर नई पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई थी, जिसका विवरण तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: उन मामलों का विवरण जहां पिछली पर्यावरण अनापत्ति के अनुपालना की जांच किए बगैर पर्यावरण अनापत्ति प्रदान किया गया था

क्षेत्र	परियोजना	विवरण
कोयला	समलेश्वरी ओसीपी का विस्तार (11 एमटीपीए से 15 एमटीपीए)	क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफएंडसीसी ने 16 अप्रैल 2013 को परियोजना का अनुश्रवण किया और पूर्व पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के गैर-अनुपालन का रिपोर्ट दिया जो कि है, • 2009-10 के बाद परियोजना द्वारा कोई पौधरोपण कार्य नहीं लिया गया था; • "कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा अवैध कटाई किए गए थे और इन खुले स्थानों को भरने के लिए पौधरोपण करना था; राज्य सरकार द्वारा विधिवत प्रमाणित जियो-रेफेरेंस मैप प्रस्तुत नहीं किया गया था; • पुनर्वास कार्य अभी भी शुरू किया जाना था; • प्रयोगशाला को सुचारू बनाने के लिए इसे अपेक्षित उपकरण उपलब्ध करा के विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था; • निर्धारित पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के अनुपालन की स्थिति अभी अपलोड किया जाना था; • पर्यावरण गुणवत्ता मनदंडों के निगरानी आँकड़े तथा अर्द्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन अभी भी प्रस्तुत किया जाना था। ईएसी ने इस तरह के गैर-अनुपालन के लिए परियोजना प्रस्तावक से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा तथा पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने हेतु परियोजना की अनुशंसा की गई।
कोयला	पौंडरपौनी कोल वाशरी का विस्तार	• एमओईएफएंडसीसी के आरओ द्वारा पूर्ववर्ती पर्यावरण अनापत्ति में उल्लेखित निर्धारित शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण के बगैर परियोजना

		के विस्तार के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई।
		• इस परियोजना क़े पर्यावरण अनापत्ति बैठक की कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया था कि "पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने से पहले परियोजना प्रस्तावक से वाशरी की क्षमता बढाने के लिए तर्कसंगत ढंग से अपनाई जाने वाली उपकरण व प्रौद्योगिक का विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए"। तथापि यह पाया गया कि मंत्रालय ने परियोजना प्रस्तावक से इस तरह की सूचना प्राप्त किए बगैर पर्यावरण अनापत्ति पत्र जारी कर दिया था।

एमओईएफएंडसीसी ने बताया (अक्तूबर 2016) कि यह एक स्थापित प्रक्रिया थी कि वह परियोजना जो विस्तार के लिए आती है, पिछले मॉनीटरिंग रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत एवं जांच की जाती हैं और कहा कि पर्यावरण अनापत्ति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए टिप्पणी-पत्र में इस बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए सभी सदस्य सचिवों को हाल ही में आदेश जारी किए गए हैं।

तथापि, एमओईएफएंडसीसी ने तालिका 2.5 में किये गये उल्लेखित मामलों पर विशेष टिप्पणी नहीं की।

2.9 2008-12 के दौरान पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं का गैर-प्रचालन

सितम्बर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन का पैरा 9 पर्यावरण अनापत्ति की वैधता के लिए प्रावधानों का प्रतिपादन करता है। इस संबंध में, एमओईएफएंडसीसी को उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी[16] देने के लिए कहा गया था जिन्हें 2008-2012 के दौरान एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति दी गई थी, परन्तु उन्होंने उत्पादन प्रचालन शुरू नहीं किया था अथवा पर्यावरण अनापत्ति की वैधता की समाप्ति के पूर्व सभी निर्माण प्रचालनों (निर्माण परियोजनाओं के मामले में) को निर्माण कार्य शूरू नही किया था या पूरा नहीं किया था। एमओईएफएंडसीसी ने इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2008-2012 के दौरान संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए एसपीसीबी/यूटीपीसीसी सहित 352 परियोजनाओं के नमूने का चयन किया। संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान अथवा एसपीसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह देखा गया कि 159 परियोजनाओं (44 प्रतिशत) में जिनके लिए एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति दी गई थी परियोजनाएं या तो प्रचालित नहीं थी अथवा वन अनापत्ति, वित्तीय बाधा, बाजार व्यावहारिकता, भूमि विवाद, तकनीकी कारण, इत्यादि कारणों से शुरू ही नहीं हुए थी।

[16] लेखापरीक्षा मेमो संख्या 137(पीए) दिनांक 27 अप्रैल 2016

उपरोक्त यह दर्शाता है कि एमओईएफएंडसीसी के पास कोई जानकारी नहीं थी कि क्या वे परियोजनाएं जिनके लिए उसने पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की थी वे प्रचालित नहीं है अथवा बंद हो चुके हैं। बंद/गैर-प्रचालित परियोजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव एमओईएफएंडसीसी, एसपीसीबी तथा परियोजना प्रस्तावकों के बीच खराब समन्वय को दर्शाता है। एमओईएफएंडसीसी ने पर्यावरण अनापत्ति दी गई परियोजनाओं का वर्तमान स्थिति का ओनलाईन डाटा बेस नही बनाया।

2.10 ताप एवं धातुकर्म परियोजनाओं के लिए संपर्क कोयला खदान की पर्यावरण अनापत्ति

ताप ऊर्जा एवं धातुकर्म परियोजनाओं के लिए एमओईएफएंडसीसी परिपत्र (नवम्बर 2010) के अनुसार, परियोजना की व्यवहारिकता सुनिश्चित करने के लिए कोयले की आपेक्षित मात्रा की उपलब्धता अनिवार्य है। इस प्रकार के परियोजनाओं के संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव तक पहुँच स्थापित करने के लिए परियोजना के लिए प्रयोग किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता, उसके स्त्रोतों तथा परियोजना की स्थिति के संबंध में दूरी के बारे में जानकारी रखना वांछनीय था। पर्यावरणीय भार के अतिरिक्त कोयले की गुणवत्ता का परियोजना के लिए आपेक्षित भूमि पर भी प्रभाव पड़ता है। कोयले की गुणवत्ता के सटीक आकड़े के अभाव में, क्षेत्र की वहन क्षमता की गणना हो सकती है जो पर्यावरणीय प्रयोजनों पर आधारित क्षेत्र के भावी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह, इसलिए, आवश्यक था कि संपर्क कोयला स्त्रोत की पर्यावरण तथा वन अनापत्ति सुनिश्चित की जाती। थर्मल ऊर्जा परियोजनाओ स्टील, स्पंज आयरन तथा इस प्रकार की अन्य परियोजना से संबंधित सभी प्रस्ताव, जो काफी हद तक कच्चे मालों की उपलब्धता पर निर्भर हैं, पर विचार केवल तभी किया जाएगा जब फर्म कोयला संपर्क उपलब्ध हो तथा कोयला स्त्रोतों अर्थात संबद्ध कोयला खदान/कोयला प्रखण्ड के पर्यावरण व वानिकी अनापत्ति की स्थिति ज्ञात हो।

हमलोगों ने नवम्बर 2010 के बाद जारी नमूनाकृत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनापत्ति पत्र का परीक्षण किया था संपर्क कोयला खदान के साथ उसकी जांच की जो पर्यावरण अनापत्ति पत्र/ईआईए रिपोर्ट में निर्दिष्ट था और स्थल मुआयना के दौरान जाँच की कि क्या ताप ऊर्जा परियोजना कोयले का उपयोग कर रहा था जैसा कि पर्यावरण अनापत्ति पत्र में निर्दिष्ट था।

2008-11 के दौरान पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त कुल 43 परियोजनाओं तथा 2011-15 के दौरान पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त अन्य 41 परियोजनाओं की इस दृष्टिकोण से जाँच की गई थी। इन परियोजनाओं में से, दोनों अवधियों से प्रत्येक 9 परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति नवम्बर 2010 में निर्देश जारी किए जाने के बाद दी गई थी।

इन परियोजनाओं की संवीक्षा में हमलोगों ने निम्नलिखित बातें पाई:

क. बिहार एवं छत्तीसगढ़ तक फैले तीन परियोजनाओं में पर्यावरण अनापत्ति ने उस कम्पनी का नाम निर्दिष्ट किया, जहाँ से प्रस्तावित कोयले की खरीद की जानी थी। तथापि, इसने उस प्रखण्ड अथवा खदान का नाम स्पष्ट नहीं किया, इसलिए स्त्रोत की स्थिति अथवा दूरी का अनुमान नहीं लगाया जा सका था, इन परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: ताप परियोजनाओं के अप्राप्य कोयला संबद्ध खदान

राज्य	परियोजना	पर्यावरण अनापत्ति की तिथि	कोयला संपर्क
1. बिहार	नवीनगर एसटीपीपी	27 दिसम्बर 2010	सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड
2. छत्तीसगढ़	कोयला आधारित ताप उर्जा सयंत्र का विस्तार	18 मार्च 2011	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड
3. छत्तीसगढ़	कोयला आधारित ताप उर्जा सयंत्र	24 जनवरी 2012	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड

ख. **मध्य प्रदेश** में एक परियोजना **(विंध्याचल एसटीपीसी)** में, पर्यावरण अनापत्ति (02 मई 2012 को दी गई) ने कोयला झारखंड में पाकरी बारवदिह कोयला प्रखण्ड से खरीदा जाना निर्दिष्ट किया गया था, जबकि कोयले के खनन में विलम्ब का हवाला देते हुए, एक अलग खदान से कोयले का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कोयले के स्त्रोत में परिवर्तन की सूचना एमओईएफएंडसीसी को नहीं दी गई है जो कि निर्देशों का घोर उल्लंघन है।

ग. महाराष्ट्र में एक परियोजना **(सुपर-क्रिटिकल टेकनोलॉजी कोल बेस्ड टीपीपी)** में, पर्यावरण अनापत्ति 27 नवम्बर 2012 को दी गई थी, पर्यावरण अनापत्ति में कोयला की आपूर्ति हेतु कोयला प्रखण्ड अथवा खदान के साथ कोई सटीक संपर्क निर्दिष्ट नहीं था जो निर्देशों का उल्लंघन था।

घ. राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल तक फैले चार परियोजनाओं में, यद्यपि पर्यावरण अनापत्ति में उस कोयला प्रखण्ड को निर्दिष्ट किया जहाँ से कोयले की निकासी की जानी थी फिर भी यह तय नहीं किया जा सका कि क्या इन कोयला प्रखण्डों को क्रिया के लिए पर्यावरण अनापत्ति दी गई है। इन पाँच परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: कोयला संबद्ध खदान के पर्यावरण अनापत्ति कि गैर-पुष्टि

राज्य	परियोजना	पर्यावरण अनापत्ति की तिथि	कोयला संपर्क
1. **राजस्थान**	बरसिंगसर ताप ऊर्जा संयत्र (नेवेली लिग्नाईट) आधारित 1x250 मेगावाट लिग्नाईट की वृद्धि द्वारा विस्तार	30 जुलाई 2012	हाडला कोयला प्रखण्ड को 21 जनवरी 2013 को पर्यावरण अनापत्ति दी गई थी लेकिन पलाना कोयला प्रखण्ड को प्रदत्त पर्यावरण अनापत्ति के बारे में कोई ब्यौरा नहीं मिल सका।
2. **तमिलनाडू**	गुम्मीडीपोंडी तालुक में पेरिया ओबुलापुरम एवं पापनकुप्पम	18 मई 2011	महानदी कोल फील्ड्स संबद्ध कोयला खदान को प्रदत्त पर्यावरण अनापत्ति का कोई ब्यौरा नहीं।
3. **उत्तर प्रदेश**	फिरोज गांधी उंचाहार ताप ऊर्जा परियोजना	10 मई 2013	तलाईपली कोयला प्रखण्ड एवं पाकरी बारवदिह कोयला प्रखण्ड झारखंड में पाकरी बारवदिह कोयला प्रखण्ड को पर्यावरण अनापत्ति 19 मई 2009 को दी गई. तलाईपल्ली कोयला प्रखण्ड को दी गई पर्यावरण अनापत्ति का कोई ब्यौरा नहीं मिल सका।
4. **पश्चिम बंगाल**	सागरदिधि ताप ऊर्जा परियोजनाये	18 मई 2011	कोयला प्रखण्ड को दी गई पर्यावरण अनापत्ति का कोई ब्यौरा नहीं मिल सका।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्तूबर 2016) कि किसी कोयला खदान विशेष के साथ ऐसे सटीक संपर्क की आवश्यकता नहीं थी, यदि कोई कोयला पीएसयू क्षेत्र विशेष की खदान के किसी समूह से कोयला संबद्धता निर्धारित करता है। उस मामले में कोयला आयात किया गया था जिसमें परियोजना प्रस्तावक आयातकों के साथ हुए एमओयू की प्रति दाखिल करता है और कहा कि कोयला ई-नीलामी में खरीदा गया था तो किसी विशिष्ट संबद्धता की भी आवश्यकता नहीं थी।

तथापि, उपर्युक्त मामलों में नवम्बर 2010 के परिपत्र मे उल्लेखित प्रावधानों को पर्यावरण अनापत्ति प्रखण्ड/ खदान को निर्दिष्ट किए बिना क्यों प्रदान की गई थी एवं क्या संबंधित कोयला प्रखण्ड को पर्यावरण अनापत्ति दी गई थी अथवा नहीं पर मंत्रालय का उत्तर मौन था।

2.11 राष्ट्रीय नियामक की नियुक्ति

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अनुसार, केंद्र सरकार, को परियोजनाओं का मूल्यांकन करने, मंजूरियों के लिए पर्यावरण संबंधी शर्तों को लागू करने तथा प्रदूषण फैलानेवालो पर जुर्माना लगाने के लिए एक राष्ट्रीय नियामक नियुक्त कर सकती हैं।

लाफ़ार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (6 जुलाई 2011) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक की आवश्यकता थी जिसके कार्यालय सभी राज्यों में हो, जो पर्यावरण स्वीकृतियों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी मूल्यांकन तथा परियोजनाओं का अनुमोदन कर सकता है और जो पर्यावरण स्वीकृतियों में विनिर्दिष्ट शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी भी कर सकता है।

हम लोगों ने पाया कि केंद्र सरकार ने वर्ग बी परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) का गठन किया। तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का कोई प्राधिकरण नहीं था और एमओईएफएंडसीसी स्वयं वर्ग ए परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृतियां प्रदान कर रहा था।

एमओईएफएंडसीसी ने मंत्रालय द्वारा दिए गए विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट (नवम्बर 2014) में निर्णायक प्राधिकरणों के रूप में राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण (एनईएमए) तथा राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण (एसईएमए) के सृजन का सुझाव संयुक्त पर्यावरणीय स्वीकृति (एक विंडो), एनईएमए द्वारा वर्ग ए मामलों तथा एसईएमए द्वारा वर्ग बी मामलों के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने हेतु दिया। ये पेशेवर व्यक्तियों से आबाद, उपयुक्त प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित स्थायी तकनीकी संस्थान होंगे, जिनके पास सख्ती से समयबद्ध तरीके से सभी पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदनों की कार्रवाई हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा। एनईएमए तथा एसईएमए 'सहमति' दिए जाने के पूर्व परियोजना घटकों सहित प्रमात्रा के मूल्यांकन/संभावित पर्यावरणीय क्षति की प्रकृति पर लागू की जाने वाली शर्तों को प्रतिपादित करने हेतु भी उत्तरदायी होंगे। ये लागू शर्तों की अनुपालना की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने कि उल्लंघनों की प्रभावी रूप से व्याख्या की जाती है तथा दंडात्मक उपायों की प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई हेतु उत्तरदायी एजेंसियाँ होगी।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्तूबर 2016) कि उसने समिति की सिफ़ारिशों की जाँच करने, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों को देखते हुए भारत के पर्यावरण संबंधी क़ानूनों तथा अन्य देशों में पर्यावरण संबंधी क़ानूनों के कार्यान्वयन एवं प्रबंधन में

सर्वोत्तम प्रणालियों के बीच के अंतराल की पहचान करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार को नियुक्त किया है।

2.12 ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकारों की मान्यता

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उनके सलाहकारों की सहायता से तैयार किए गए ईआईए तथा ईएमपी रिपोर्टों के आधार पर ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार विकास परियोजनाओं का पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन किया जाता हैं। बेहतर निर्णय लेने के लिए अच्छी गुणवत्ता के ईआईए रिपोर्ट पूर्वापेक्षित होते हैं। यह अनुभव किया गया है कि ईआईए रिपोर्टों की गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता थी क्योंकि आमतौर पर सलाहकार, अनेक क्षेत्रों में तथा कुछ उदाहरणों में ईआईए/ईएमपी रिपोर्टों की तैयारी आवश्यक विशेषता तथा सहायक सुविधाओं जैसे नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं, योग्य कर्मचारियों, इत्यादि के बिना करते है। इसलिए, दिसंबर, 2009 में, एमओईएफएंडसीसी ने एक कार्यालय ज्ञापन[17] यह अधिदेश देते हुए जारी किया कि ऐसे सलाहकारों द्वारा बनाए गए ईआईए/ ईएमपी रिपोर्ट, जो भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) अथवा शिक्षा तथा नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर एडुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनएबीईटी) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, 30 जून 2010 के बाद मंत्रालय की और से उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, मार्च 2016 में एमओईएफएंडसीसी ने ईआईए अधिसूचना 2006 में संशोधन किया तथा यह प्रावधान शामिल किया कि वे पर्यावरण संबंधी सलाहकार संगठन, जिन्हें किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए मान्यता दी जाती है तथा क्यूसीआई अथवा एनएबीईटी या किसी अन्य एजेंसी जिसे एमओईएफएंडसीसी द्वारा समय-समाय पर अधिसूचित किया गया है, उन्हें उस क्षेत्र में परियोजनाओं के ईआईए रिपोर्ट तथा ईएमपी तैयार करने तथा संबंधित ईएसी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

यह देखा गया कि ईआईए रिपोर्ट तथा ईएमपी उन सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए थें जो क्यूसीआई अथवा एनएबीईटी के साथ किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थें जैसा कि तालिका 2.8 में विवरण दिया गया।

[17] एफ नं. जे-11013/77/2004-आईए ॥(I) दिनांक 2 दिसंबर 2009

तालिका 2.8: एनएबीईटी के साथ पंजीकृत नहीं किए गए परियोजनाओं के सलाहकार

ईएसी	हमारे पर्यवेक्षण
1. **कोयला खनन (39 मामले)**	➢ 17 परियोजनाओं लागू नहीं/विस्तार योजनाएं थीं। ➢ पाँच परियोजनाओं को अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त थीं मान्यता प्रक्रियाधीन थीं ➢ एक परियोजना की ईआईए रिपोर्ट स्कैन की गई फाईल में नहीं मिली थीं। ➢ शेष 10 परियोजनाओं के प्रत्यायन का पता नहीं लगाया जा सका।
2. **उद्योग (34 मामले)**	➢ सलाहकार को मान्यता प्राप्त बताया गया लेकिन 27 परियोजनाओं में मान्यता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया।
3. **गैर कोयला खनन (37 मामले)**	➢ पाँच परियोजनाओं में अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त थीं मान्यता प्रक्रियाधीन/प्रतीक्षा सूचीबद्ध थीं ➢ सलाहकार को मान्यता प्राप्त बताया गया लेकिन तीन परियोजनाओं में मान्यता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया। ➢ 11 परियोजनाओं में सलाहकार की मान्यताओं के विषय में ईआईए रिपोर्ट मौन था।
4. **निर्माण (20 मामले)**	➢ लागू नहीं क्योंकि टीओआर तथा ईआईए तैयार नहीं किया गया था।
5. **अवसंरचना (38 मामले)**	➢ 13 परियोजनाओं में, ईआईए रिपोर्ट तैयार करनेवाले सलाहकार उक्त परियोजना गतिविधि हेतु एनएबीईटी के साथ पंजीकृत नहीं थें, ➢ 9 परियोजनाओं में, ईआईए रिपोर्ट तैयार करनेवाले सलाहकार ने बताया कि वह उक्त परियोजना गतिविधि के लिए एनएबीईटी के साथ पंजीकृत थें परन्तु सत्यापन हेतु प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था।
6. **नदी घाटी तथा जलविद्युतीय (38 मामले)**	➢ 5 परियोजनाओं में, ईआईए रिपोर्ट तैयार करनेवाले सलाहकार उक्त परियोजना गतिविधि के लिए एनएबीईटी के साथ पंजीकृत नही थें।
7. **थर्मल ऊर्जा (41 मामले)**	➢ 10 परियोजनाओं में, ईआईए रिपोर्ट तैयार करनेवाले सलाहकार उक्त परियोजना गतिविधि के लिए एनएबीईटी के साथ पंजीकृत नहीं थें।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्तूबर 2016) कि सलाहकारों को मान्यता क्यूसीआई द्वारा दी गई थी और योग्यता मानदंड विभिन्न सेक्टरों के लिए पात्रता तथा उनकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया व नवीनीकरण क्यूसीआई द्वारा संचालित होती है। मंत्रालय उन विषयों में मौन था जहाँ ईसी उन परियोजनाओं को दे दी थी जिनमें सलाहकार पंजीकृत नहीं था या प्रावधिक पंजीकृत था।

2.13 पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों में गैर एकरूपता

ईसी पत्र में सामान्य तथा विशिष्ट परिस्थितियां पीपी द्वारा पालन हेतु शामिल होती हैं। सामान्य स्थितियों से संबंधित है ईएमपी उद्यम सामाजिक जिम्मेदारी[18] (ईएसआर),

[18] एमओईएफएंडसीसी द्वारा ईसी में कोरपोरेट सोशल रिसपोंसिब्लिटी (सीएसआर) की जगह ईएसआर का भी उपयोग किया गया है।

निगरानी स्टेशनों के स्थान, आरओ/एसपीसीबी द्वारा पर्यावरणीय मानकों की निगरानी। विशिष्ट शर्त किसी एक परियोजना क्षेत्र और साइट से संबंधित होते हैं।

यह पाया गया कि विभिन्न पर्यावरण स्वीकृतियों में शर्तों एवं निबंधनों में एकरूपता नहीं है। यह भी पाया गया कि अलग-अलग परियोजना प्रस्तावकों पर तुलनीय/समान समय सीमाओं के दौरान समान परियोजनाओं के लिए दी गई अनापत्ति में अलग-अलग शर्तों एवं निबंधनों के मामलों को इंगित किया गया था।

पर्यावरण अनापत्ति में देखी गई भिन्नता इन संबंधों में थी जैसे कि, ईएमपी/सीएसआर लागत, सीटीओ/सीटीई प्राप्त करने की शर्त, कर्ण उत्सर्जन में भिन्नता, परियोजना प्रस्तावकों की वेबसाइट पर पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों की अनुपालना अपलोड करना, वर्षाजल संग्रहण, भूजल, वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग के साथ परामर्श, ऊपरी मिट्टी का निष्कासन। इनके विवरण अनुबंध V में दिए गये हैं।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्तूबर 2016) कि यद्यपि पर्यावरण अनापत्ति शर्तों की एकरूपता वांछनीय थी तथापि इसे 100 प्रतिशत नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ शर्तें परियोजना तथा स्थल विशिष्ट हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सभी सेक्टरों पर लागू कुछ सामान्य शर्तें पर्यावरण स्वीकृतियों में मौजूद नहीं थें और इसी प्रकार की परियोजनाओं के पर्यावरण स्वीकृतियों में भी भिन्नता देखी गई थी।

2.14 सार्वजनिक परामर्श

ईआईए अधिसूचना के अनुसार, सार्वजनिक परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों व अन्य जिनकी परियोजना या गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव में संभाव्य भागीदारी है की चिंताओं का पता इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि परियोजना अथवा गतिविधि रूपरेखा में सभी महत्वपूर्ण चिंताओं का यथोचित ध्यान रखा जाए।

सार्वजनिक परामर्श में स्थानीय प्रभावित लोगों की चिंताओं का पता लगाने के लिए निर्धारित रीति में उस स्थल अथवा उसके अत्यंत निकट क्षेत्र में - जिलावार सार्वजनिक सुनवाई किया जाना शामिल था।

संबंधित एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी को सार्वजनिक सुनवाई के संचालन के लिए तिथि, समय तथा सटीक स्थल को अंतिम रूप देना था एवं उसे एक मुख्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय स्थानीय भाषा दैनिक समाचार पत्र/आधिकारिक राज्य भाषा में विज्ञापित करना था। जनता को अपनी प्रतिक्रियाएँ देने के लिए 30 दिनों की न्यूनतम नोटिस अवधि दी जानी थी।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/उपायुक्त अथवा उनके या उनकी प्रतिनिधि; जो अवर जिला मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो, को एसपीसीबी या यूटीपीसीसी के प्रतिनिधि की सहायता से संपूर्ण सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा अध्यक्षता करनी थी।

अभिव्यक्त सभी विचारों व शंकाओं को यथार्थ रूप से दर्शाने वाले सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही का सार एसपीसीबी तथा यूटीपीसीसी के प्रतिनिधि द्वारा अभिलेखित किया जाना चाहिए एवं कार्यवाही के अंत में स्थानीय भाषा में विषयों की व्याख्या करते हुए दर्शकों के लिए पढ़ा जाना चाहिए और सहमति प्राप्त कार्यवृत उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलेक्टर/ उपायुक्त अथवा उनके या उनकी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए तथा संबंधित एसपीसीबी/यूटीपीसीसी को अग्रेषित की जानी चाहिए।

सार्वजनिक सुनवाई आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर सम्पन्न की जानी चाहिए। इसके बाद संबंधित एसपीसीबी/यूटीसीसी को सार्वजनिक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित नियामक प्राधिकारी को सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही भेजनी चाहिए।

सार्वजनिक सुनवाई के मुद्दे, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध योजना, प्रतिकूल सार्वजनिक सुनवाई के मामलों का विश्लेषण, सीपीसीबी/एसपीसीबी की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप रहकर परियोजना प्रस्तावकों द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं, सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी ईआईए रिपोर्ट में शामिल की जानी थीं।

2.14.1 ईआईए रिपोर्टों में सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की समीक्षा

हम लोगों ने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया जैसा कि ईआईए अधिसूचना 2006 में अनुबंधित था के आंकलन के लिए एमओईएफएंडसीसी में ऐसी 216 परियोजनाओं की जांच की जिन्हें 2011-जुलाई 2015 के बीच ईसी दिए गए थे। भवन निर्माण/ विनिर्माण सेक्टर में सार्वजनिक परामर्श लागू नहीं होता है क्योंकि उनमें टीओआर तथा ईआईए रिपोर्ट तैयार नहीं किए जाते। 196 परियोजनाओं, जिनमें सार्वजनिक परामर्श किया जाना था, में से 62 परियोजनाओं (32 प्रतिशत) में हम लोगों ने अनियमितताएं पाईं जिसका सार तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: सार्वजनिक परामर्श में क्षेत्रवार अनियमितताओं का सार

ईएसी	जाँच की गई परियोजनाएं	अनियमितता वाली परियोजनाएं	गैर-अनुपालना का प्रतिशत
1. कोयला खनन	39	6	15.38
2. उद्योग	34	12[19]	35.29
3. गैर-कोयला खनन	37	7	18.91
4. विनिर्माण	20	लागू नहीं है क्योंकि टीओआर एवं ईआईए रिपोर्ट नहीं बनते।	
5. अवसंरचना	38	21	55.26
6. नदी घाटी एवं जल विद्युतीय शक्ति	7	7	100
7. थर्मल ऊर्जा	41	9[20]	21.95
	216	62	

तालिका 2.9 दर्शाती है कि ईआईए अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक परामर्श संचालन में यथोचित तत्परता का अनुगमन जांचे गए सात क्षेत्रों में से किसी में भी नहीं किया गया। नदी घाटी एवं जल विद्युतीय सेक्टर में अनियमितताएं सबसे अधिक थीं।

अनियमितताओं में, सार्वजनिक सुनवाई के संचालन में विलम्ब, गायब विज्ञापन, विज्ञापनों का स्थानीय भाषा में न होना, जनता के विचारों को ध्यान में न रखना इत्यादि शामिल था।

ईआईए अधिसूचना के प्रति गैर-अनुपालन से संबंधित कुछ रोचक मामले नीचे दिए गए हैं-

छत्तीसगढ में मैसर्स एसईसीएल के 'बिनकारा अंडरग्राउंड कोल माइन प्रोजेक्ट' के मामले में हम लोगों ने पाया कि परियोजना स्थापित करने के विरोध में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्रतिभागियों के विरोध तथा उसके बाद में सरपंच, ग्राम पंचायत, अध्यक्ष, ग्राम सभा, अम्बिकापुर के विधायक आदि से प्राप्त शिकायत पत्रों का उल्लेख किए बिना ईसी प्रदान कर दी गई।

छत्तीसगढ़ में मैसर्स जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के कोल माइन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट' के अन्य मामले में हम लोगों ने पाया कि सार्वजनिक परामर्श की कार्यवाही को पूरा करने में 318 दिनों का विलंब हुआ था।

---

[19] सार्वजनिक सुनवाई से संबंधित विज्ञापन फाईल में नहीं थे।

[20] प्रेस क्लिपिंग से संबंधित अभिलेखों का अभाव।

हम लोगों ने सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया में अन्य कमियां पाईं जैसे कि संबंधित दस्तावेज व एसपीसीबी द्वारा विज्ञापन की तिथि, सार्वजनिक सुनवाई की तिथि, एसपीसीबी द्वारा कार्यवाही के अग्रेषण की तिथि इत्यादि फाइलों में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए यह जांच करना कठिन था कि सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया का पालन किया गया था।

2.14.2 सार्वजनिक परामर्श के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं का पूरा न होना

हम लोगों ने विभिन्न सेक्टरों से संबंधित 352 नमूनाकृत परियोजनाओं, जिन्हें 2008-2011 के दौरान ईसी दिया गया था, का स्थान पर निरीक्षण किया। 125 परियोजनाओं को सार्वजनिक सुनवाई से छूट दी गई थी, एमओईएफएंडसीसी द्वारा 11 परियोजनाओं में सार्वजनिक सुनवाई हेतु शर्त अनुबंधित नहीं थी। हम लोगों ने शेष 216 परियोजनाओं में से 92 परियोजनाओं के संबंध में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं की पूर्ति में अनुपालना को देखा। 44 परियोजनाओं के मामलें में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी और 20 परियोजनाओं में सार्वजनिक सुनवाई के संबंध में अनुबंध लागू नहीं था क्योंकि कोई मुख्य प्रतिबद्धताएं नहीं की गई थी अथवा परियोजनाएं अभी भी प्रारंभ होनी बाकी थी।

हम लोगों ने 60 परियोजनाओं के संबंध में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं की पूर्ति में कमी पाई। निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं के संबंध में कमी थी:

- प्रतिपूरक वनरोपण तथा ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण।
- वायु, जल, ध्वनी गुणवत्ता मानीटरिंग हेतु उपकरण नहीं लगाए गए।
- स्थानीय जनसमुदाय को रोजगार।
- स्थानीय जनसमुदाय हेतु अस्पताल की स्थापना एवं चिकित्सा की सुविधाएं।
- वर्षा जल संग्रहण व धूल प्रबंधन पद्धति की स्थापना।
- प्रवाह उपचार संयंत्र का निर्माण
- ईसीएसआर गतिविधियों का निष्पादन।
- स्थानीय जनसमुदाय के लिए शिक्षा सुविधा।

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं की पूर्ति में कमी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं -

बिहार में मै. नबीनगर पॉवर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड का नबीनगर एसटीपीपीः वायु, जल, ध्वनि व धूल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए यंत्र लगाना, हरित पट्टी का विकास और उपचारित गंदे पानी की रिसाइकलिंग प्रतिबद्धताओं में सम्मिलित थी। प्रतिबद्धताओं की पूर्ति में 100 प्रतिशत कमी थी क्योंकि वायु, जल व ध्वनि गुणवत्ता मानिटरिंग नहीं की

गई थी। धूल प्रबंधन नहीं किया गया था। हरित पट्टी नहीं बनाई गई थी। ईटीपी अभी निर्माणाधीन था।

चंडीगढ में मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 'चंडीगढ हवाई अड्डे पर नए यात्री टर्मिनल का निर्माणः प्रतिबद्धताओं में परिधि में पौधे लगाना, स्थानीय निवासियों को रोजगार, गंदे पानी का उपचार, मुफ्त शिक्षा व चिकित्सा सुविधाएं शामिल था। हमने देखा कि वहां 100 प्रतिशत की कमी थी क्योंकि पौधों का वृक्षारोपण नहीं किया गया था, रोजगार के संबंध में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा कोई विवरण नहीं दिया गया था, 930 केएलडी के बजाए 600 केएलडी का एसटीपी लगाया गया था। और परियोजना प्रस्तावकों द्वारा कोई ईएसआर गतिविधि नहीं की गई थी।

मैसर्स झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की ओपन कास्ट कोल माइंस परियोजना (सिक्नी) - सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं ने सड़क विकास, वृक्षारोपण, पौधों का वितरण, जल भराव के विरुद्ध सुरक्षा, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराना और विस्थापित लोगों को रोजगार शामिल था। कम्पनी ने लातेहर में अस्पताल बनाने, मुफ्त पौध वितरण, पौधों की नर्सरी और शसंग स्कूल की देखभाल करने की प्रतिबद्धता की थी। हमने देखा कि केवल बाल समागम और बाल दिवस ही आयोजित किए गए थे। पीपी द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई कोई भी प्रतिबद्धता पूरी नहीं की गई।

मध्यप्रदेश में मैसर्स एसईसीएल की शीतलधारा कुर्जा और कपिलधारा खानों का समूहः प्रतिबद्धताओं में सड़क निर्माण, स्कूल बनाना, वृक्षारोपण व पेयजल की व्यवस्था शामिल थे। पेयजल का प्रावधान टैंकर के माध्यम से किया गया। पीपी द्वारा सड़क निर्माण, स्कूल निर्माण व वृक्षारोपण की प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की गई थीं।

मेघालय में मैसर्स माम्लूह चेरा सीमेंट लिमिटेड की 'माम्लूह लाइमस्टोन माइनः सार्वजनिक सुनवाई में प्रभावशाली प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का संस्थापन और ग्रीन बेल्ट विकास की प्रतिबद्धताए शामिल थीं। परियोजना प्रस्तावकों ने बताया कि प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी स्थितियों में सुधार हेतु पर्याप्त कोष अलग से रखे गए हैं। हम लोगों ने पाया कि वहां 100 प्रतिशत की कमी थी क्योंकि ग्रीन बेल्ट का विकास नहीं किया गया था और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली भी नहीं लगाए गई थी। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास तथा ईएसआर में कोई व्यय नहीं किया गया था।

पंजाब में मैसर्स बीसीएल इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड का ग्रेन बेस्ड डिस्टलरी एंड कोजेन पावर प्लांटः प्रतिबद्धताओं में क्षेत्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा हेतु प्राथमिक

विद्यालय शामिल था। वहां 100 प्रतिशत की कमी थी क्योंकि पीपी द्वारा प्रतिबद्धता पूरी नहीं की गई थी।

राजस्थान में मैसर्स ठेकेदार रविंदर भारद्वाज की सैंडस्टोन माईनः प्रतिबद्धताओं में स्थानीय लोगों को रोजगार, खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण, कूड़े को व्यवस्थित रुप से फैंकना, श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय तथा स्थानीय गाँव वालों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए रु.0.25 लाख प्रतिवर्ष अलग से निश्चित किया जाना शामिल था। वहाँ कमी इसलिए पाई गई क्योंकि उत्थान के लिए कोई राशि अलग से निर्धारित नहीं की गई और कोई खर्चा नहीं किया गया।

पश्चिम बंगाल में मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का शंकरपुर अंडरग्राउंड कोल माइन प्रोजेक्टः प्रतिबद्धताओं में सड़क पर पानी का छिड़काव, कंपन की समस्या पर ध्यान देने के लिए समिति का गठन, खदान के चारों तरफ हरित घेरे का विकास, सघन वृक्षारोपण और ईएसआर की गतिविधियों का आरंभ शामिल थे। स्थान का दौरा करने पर पाया गया कि प्रगतिशील वनीकरण योजना नहीं बनाई गई थी, पहुँच - मार्ग का हिस्सा क्षतिग्रस्त पाया गया, लदाई स्थान, कन्वेयर प्रणाली, स्थानांतरण बिंदुओं और रेलवे साईडिंग पर जल छिड़काव प्रणाली नहीं स्थापित की गई थी। परियोजना प्राधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों पर धूल दबाने के लिए चल जल टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। किंतु, स्थान के संयुक्त दौरे के दौरान ये नहीं पाए गए।

2.14.3 2006 की ईआईए अधिसूचना में कमियां

सार्वजनिक परामर्श के संबंध में ईआईए अधिसूचना में हम लोगों ने निम्नलिखित कमियां देखीः

क. सार्वजनिक सुनवाई में की गई प्रतिबद्धताओं हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे परियोजना प्रस्तावक समयबद्ध तरीके से प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके।

ख. यह सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं था कि अंतिम ईआईए रिपोर्ट/पर्यावरण संबंधी अनापत्ति पत्र में स्थानीय लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखा गया था।

ग. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं को परियोजना प्रस्तावकों ने पूरा किया या नहीं इसकी कोई मानीटरिंग नहीं हुई थी।

घ. 1994 की ईआईए अधिसूचना के अनुसार, प्रामाणिक निवासियों, पर्यावरणीय समूह तथा परियोजना स्थल/ विस्थापन के स्थलों/ प्रभावित होने की संभावना वाले स्थलों में स्थित अन्यों सहित सभी व्यक्ति सार्वजनिक सुनवाई में भाग ले सकते हैं। हालांकि 2006 की ईआईए अधिसूचना के अनुसार ऐसी कोई शर्त नहीं है, किन्तु यह उल्लिखित है कि कार्यवाही शुरू करने के लिए उपस्थिति हेतु किसी कोरम की आवश्यकता नहीं थी। किंतु परियोजना से प्रभावित परिवारों की सहभागिता को

बढ़ावा देने के लिए ताकि उनके विचार और चिंताओं पर ध्यान दिया जा सके, उनकी सहभागिता के लिए एक कोरम की आवश्यकता हो सकती है।

2.15 उपसंहार

हम लोगों ने पाया कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रक्रिया के प्रत्येक चरण यथा टीओआर की स्वीकृति देने, अंतिम ईआईए रिपोर्ट की संवीक्षा, ईएसी द्वारा आवेदन का मूल्यांकन, अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईएसी के सिफारिशें प्रस्तुत करना और आवेदक को पर्यावरण अनापत्ति की सिफारिशें तथा एमओईएफएंडसीसी के निर्णय से अवगत कराने में विलम्ब हुआ।

कुछ नमूनाकृत मामलों में ईआईए रिपोर्ट टीओआर के अनुरूप नहीं था एवं कुछ परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट सामान्य संरचना के अनुरूप नहीं थें, फिर भी एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रदान की गई थी। टीओआर की स्वीकृति के पूर्व आधारभूत आँकड़े का संग्रहण/3 महीने के एक मौसम के बदले एक महीने के लिए आँकड़े का संग्रहण तथा टीओआर में अनिवार्य शर्तों की गैर प्रविष्टि से संबंधित अन्य अपर्याप्तताएं देखीं गई।

पीपीज द्वारा यह नहीं कहा गया कि उनके द्वारा ईआईए रिपोर्ट पर गहन अध्ययन किया गया था। अतः पर्यावरण पर वर्तमान तथा नियोजित कार्यकलापों के संचयी प्रभाव के बारे में आश्वस्त नहीं किया जा सका। परियोजना प्रस्तावकों को पर्यावरण अनापत्ति पूर्व पर्यावरण अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों की अनुपालना एवं क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिशों की जांच किए बिना दी गई थी। हमलोगों ने समान प्रकार के परियोजनाओं में पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की शर्तों में गैर-एकरूपता भी पाई।

एमओईएफएंडसीसी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि क्या उन परियोजनाओं जिनके लिए इसने पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रदान की थी वे प्रचालित नहीं थें अथवा बंद हो चुके हैं। संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान अथवा एसपीसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हमलोगों ने पाया कि बहुत सी परियोजनाएं या तो प्रचालित नहीं थें अथवा वन विभाग की अनापत्ति, वित्तीय बाधा, बाजार व्यवहार्यता, भूमि विवाद, तकनीकी कारण आदि कारणों से शुरू ही नहीं हुए थें।

हम लोगों ने पाया कि कुछ मामलों में ईआईए रिपोर्ट तैयार करने वाले सलाहकार अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त थें अथवा पूर्ण नहीं थे अथवा उनकी विश्वसनीयता सत्यापित नहीं थी। परियोजनाओं का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मूल्यांकन तथा अनुमोदन और पर्यावरण मंजूरियों में निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन की देखरेख करने, पर्यावरण संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन करने हेतु राष्ट्रीय नियामक की नियुक्ति एमओईएफएण्डसीसी द्वारा अभी तक नहीं की गई।

यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई प्रक्रिया नहीं थी कि अंतिम ईआईए रिपोर्ट/पर्यावरण अनापत्ति पत्र में जनता की चिंताओं को ध्यान में रखा गया था और सार्वजनिक परामर्श के दौरान परियोजना प्रस्तावकों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया गया था। इसके अलावा सार्वजनिक सुनवाई के आयोजन में भी कमियां पाई गई थी।

2.16 सिफारिशें

हम सिफ़ारिशें करते है कि,

i. एमओईएफएंडसीसी डाटाबेस के पुनर्वैधीकरण के लिए एनआईसी के परामर्श से उचित कार्रवाई करे और उन परियोजनाओं की सही तस्वीर पर पहुँचे जिनको मंत्रालय द्वारा ईसी दिए गए हैं।

(पैराग्राफ 2.2)

ii. ईसी देने में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एमओईएफएंडसीसी को ईआईए के अधिसूचना के अनुसार समय सीमा का पालन करने के साथ प्रकियाओं को सरल और कारगर बनाए।

(पैराग्राफ 2.3)

iii. एमओईएफएंडसीसी को ईआईए रिपोर्टों की संवीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे टीओआर के अनुसार हैं, सामान्य ढांचे का पालन करती हैं, बेसलाइन डाटा सही है और लोक सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।

(पैराग्राफ 2.5)

iv. एमओईएफएंडसीसी कार्यालय ज्ञापनों का सहारा लेने के बजाय सभी भागीदारों को, ईआईए की संपूर्ण प्रक्रिया का, कानूनी प्रक्रियायें अपनाकर, शामिल करके मूल्यांकन करे और ईआईए अधिसूचना में उचित संशोधन करे।

(पैराग्राफ 2.7)

v. एमओईएफएंडसीसी केवल पिछले ईसी की शर्तों का अनुपालन सत्यापित करने के बाद ही पीपी को नए सिरे से ईसी प्रदान करें।

(पैराग्राफ 2.8)

vi. एमओईएफएंडसीसी अपने कोयला लिंक्ड खान ताप तथा धातुकर्म परियोजनाओं के ईसी के लिए जारी परिपत्र का पालन करे ताकि निश्चित कोयला लिंकेज 2010

कोयला ब्लॉक की/उपलब्ध हो और कोयला स्रोतों यानि जुड़ी कोयला खान (संधि) पर्यावरण तथा वानिकी अनापत्ति ज्ञात हो।

(पैराग्राफ 2.9)

vii. एमओईएफएंडसीसी समान प्रकार की परियोजनाओं में असमानता से बचने के उद्देश्य से ईसी की शर्तें परियोजना की प्रकृति तथा प्रकार के अनुरुप बनाने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 2.13)